सत्यमेव जयते

अनीता करवाल
सचिव
भारत सरकार
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
शिक्षा मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली
ई-मेल: secy.sel@nic.in

दूरभाष सं. 23382587, 23381104

सुनील कुमार
सचिव
भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
कृषि भवन, नई दिल्ली
ई-मेल: secy-mopr@nic.in
दूरभाष सं. 23074309, 23389008

अ.शा. सं. एफ. 27-7/2021-आईएस-9 **दिनांक : 16 सितंबर, 2021**

प्रिय मुख्य सचिव,

कृपया पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से जारी दिनांक 10 जून, 2020 के अ.शा. पत्र सं. जी-39011/212017-एफडी का संदर्भ लें।

उपर्युक्त उल्लेखित अ.शा. पत्र पत्र में ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों को उनके कौशल के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने एवं सामुदायिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु पैरा (3) एवं पैरा (6) में निम्नलिखित अनुदेश जारी किए गए थे।

".....**भारत सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों (जीपी) के पास उपलब्ध 14वें वित्त आयोग (एफसी) के अनुदानों के साथ-साथ** आगामी 15वें वित्त आयोग के अनाबद्ध (शर्त रहित) अनुदानों (जो उन्हें शीघ्र ही प्राप्त होंगे) को ग्राम पंचायत में स्थित अन्य सार्वजनिक भवनों/ परिसंपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव के अलावा, ग्राम पंचायत भवनों जैसी विशिष्ट सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण कि दिशा में कुशल/अकुशल श्रमिकों की सेवाओं को नियोजित और उपयोग करके वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान **उपयोग करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।**

इसके अलावा, ग्राम पंचायतें जहाँ भी आवश्यक हो, वित्त आयोग निधियों का उपयोग करके **ग्राम पंचायत में स्थित अन्य सार्वजनिक भवनों/ परिसंपत्तियों,**जैसे कि **प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों,** स्वास्थ्य उप केंद्रों, बीज और उर्वरक बेचने वाले सहकारी भण्डारणों आदि की **मरम्मत और रखरखाव** भी कर सकती हैं''।

उपर्युक्त के संदर्भ में, यह उल्लेख करना उचित है कि विद्यालय वह स्थान हैं जहाँ बच्चों और राष्ट्र का भविष्य विकसित होता है और विद्यालय ग्रामीण स्तर परसबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन होते हैं। इसलिए, बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की वस्था और रखरखाव बहुत आवश्यक है ताकि विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों को विद्यालयों में लाया जा सके, छात्रोंकी उपस्थिति में सुधार लाया जा सके तथा विद्यालय छोड़ चुकी लड़कियों की संख्या को कम किया जा सके।

इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि ग्राम पंचायतों को यह अनुमति दी जाए कि वे अपने पास उपलब्ध 14वें और 15वें वित्त आयोग (एफसी) के अनुदानों का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक/ माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के रखरखाव और निर्माण/सुदृढ़ीकरण के लिए करें, जैसे कि:

क. विद्यालय भवनों का रखरखाव

ख. शुद्ध पेयजल; पाइप से जल आपूर्ति; हाथ धोने की इकाइयाँ;

ग. मूत्रालयों सहित लड़कों एवं लड़कियों के लिए शौचालय;

घ. सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें और इन्सिनरैटर;

ङ. दिव्यांग हितैषी शौचालय, रैंप और अन्य सुलभ सुविधाएँ;

च. एमओएम के लिए रसोई की सुविधाएं और शेड; रसोई संबंधी उद्यान;

छ. चालू बिजली कनेक्शन;

ज. भारतनेट वाई-फाई सुविधाएं;

झ. कक्षाओं और शौचालयों में उपयुक्त फर्श की सुविधाएँ;

ञ. विद्यालय के दरवाजे/खिड़कियाँ/फिक्स्चर; गेट सहित चारदीवारी आदिकी मरम्मत;

ट. खेल के मैदानों का निर्माण एवं रखरखाव।

इसके अलावा, "कैच द रेन कैंपेन" अभियान के तहत विद्यालय के भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणाली की संस्थापना को 15वें वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर शुरु किया जा सकता है।

5. ग्राम पंचायतों के साथ एसएमसी का अभिसरण नीचे दिए गए सुझाव के अनुसार भी किया जा सकता है:

(i) आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 22 के अनुसार, एसएमसी के पास स्कूल विकास योजना (एसडीपी) तैयार करने का अधिदेश है। एसडीपी को वीईसी के सहयोग से ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ जोड़ा जाए ताकि कार्यान्वयन में तेजी आए, निधियों की उपलब्धता सहज हो और नियमित निगरानी की जा सके। वार्षिक योजना समय-समय पर राज्य शिक्षा विभाग द्वारा जारी मानदंडों/विनियमों के अनुसार तैयार की जाएगी।

(ii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के शिक्षा विभाग द्वारा पंचायती राज विभाग के परामर्श सेनिम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए जा सकते हैं : (i) शून्य ड्रॉपआउट दर, (ii) कक्षा में बच्चों की 100% उपस्थिति और (iii) पूर्ण साक्षर ग्राम पंचायत। पंचायत स्तर पर ये लक्ष्य एसडीपी और जीपीडीपी का भाग होंगे।

(iii) एमडीएम योजना के तहत छात्रों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाए। वीईसी आहार अनुपूरण उपलब्ध कराने के लिए अपना सहयोग दे सकते है।

(iv) वीईसी स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से विद्यालय के सभी छात्रों की वार्षिक स्वास्थ्य जांच भी आयोजित कर सकतें हैं।

6. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, हम अनुरोध करते हैं कि संबंधित विभागों/ स्थानीय प्राधिकारियों को उपयुक्त अनुदेश जारी किए जाएं कि वे **अपने अधिकार क्षेत्र में सभी सरकारी विद्यालयों में बुनियादी ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने** की व्यवस्था करने हेतु पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से जारी दिनांक 10 जून, 2020 के अ.शा. पत्र संख्या जी-39011/212017-एफडी **(पत्र की प्रति संलग्न)** के साथ पठित उपर्युक्त सुझावों के अनुसार तुरंत अपनी रणनीति तैयार करें और इस दिशा में हुई प्रगति को शिक्षा मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के साथ साझा करें।

सादर,

आपका,

अनीता करवाल **सचिव** **स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग** **शिक्षा मंत्रालय**	**सुनील कुमार** **सचिव** **पंचायती राज मंत्रालय**

सुनीलकुमार
सचिव
भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
कृषि भवन, नई दिल्ली
secy-mopr@nlc.in

दूरभाष. सं. 23074309; 23389008

सत्यमेव जयते

नागेंद्र नाथ सिन्हा
सचिव
भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय,
कृषि भवन, नई दिल्ली
secyrd@nic.in

दूरभाष. सं. 23382230; 23384467

अ. शा. सं. जी-39011/2/2017-एफडी

दिनांक : 10 जून, 2020

प्रिय मुख्य सचिव,

पिछले दो महीनों में, कोविड-19 महामारी और उसके परिणामस्वरूप लागू लॉकडाउन के कारण देश को अप्रत्याशित स्थिति का सामना करना पड़ा है। जबकि देश में लगे लॉकडाउन के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने, कोविड-19 के मामलों में हो रही तीव्र वृद्धि को रोकने और मृत्यु दर पर नियंत्रण रखने के लिए हमें समय मिला, मगर इस समय केंद्रीय और राज्य प्रधिकारियों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है ग्रामीण क्षेत्रों में लौट रहे प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों को उनके कौशल के अनुरूप रोजगार के अवसर प्रदान करना। तथापि,इसके साथ, सामुदायिक सतर्कता और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के सख्ती से अनुपालन में कोई कमी नहीं आनी देनी चाहिए।

2. पिछले कुछ दिनों/सप्ताहों में कुछ राज्यों द्वारा लिए गए प्रवासी मजदूरों के कौशल मानचित्रण डेटा के एक नमूने से यह ज्ञात हुआ है कि अधिकांश श्रमिकों के पास निर्माण उद्योग से संबंधित कौशल हैं। यह समझा जा रहा है कि ये कुशल श्रमिक महात्मा गांधी नरेगा कार्य स्थलों पर अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करने के इच्छुक नहों। इसके अलावा, उपलब्ध सूचना के अनुसार, कई राज्यों में, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आइसोलेशन/ क्वारेंटाइन सेंटर प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों में स्थापित किए गए हैं। इन्हें स्कूल खुलने पर खाली करना होगा। उपलब्ध सूचना के आधार पर,ऐसा प्रतीत होता है कि कोविड-19 महामारी का प्रभाव कम से कम कुछ समय तक जारी रहने की संभावना है। इसलिए, ग्रामीण क्षेत्रों में आइसोलेशन/ क्वारेंटाइनकेंद्रों की निरंतर स्थापना की आवश्यकता निकट भविष्य में बनी रहने की संभावना है।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों को उनके कौशलों के अनुसार रोजगार प्रदान करने और चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने हेतु ग्राम पंचायतों (जीपी) को सक्षम बनाने के उद्देश्य के साथ-साथ सामुदायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दृष्टिसे, भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया हैकि ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध 14वें वित्त आयोग (एफसी) केअनुदानों के तथाआगामी 15वें वित्त आयोग के अनाबद्ध (शर्तरहित)अनुदानों (जो उन्हें शीघ्र ही प्राप्त होंगे) का उपयोग कुशल/अकुशल श्रमिकों की सेवाओं को नियोजित करके ग्राम पंचायत में स्थित अन्य सार्वजनिक भवनों/परिसंपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव के अलावा ग्राम पंचायत भवनों/परिसंपत्तियों जैसी विशिष्ट सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण कार्य की दिशा में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरानकरने की अनुमति दी जाए।

4. उपलब्ध सूचना के अनुसार, लगभग 60,346 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन नहीं हैं। 14वें वित्त आयोग की अव्ययित निधियों (प्रियासॉफ्ट में उपलब्ध सूचना के अनुसार) की राज्यवार उपलब्धता, 15वें वित्त आयोग के तहत संभावित आवंटन, जीपी भवनों के डेफिसिट का विवरण संलग्न है।

5. पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायत भवन के लिए निर्धारित अधिकतम अनुमोदित इकाई लागत 20 लाख रुपये है। पंचायत भवन की 50% लागत को वित्त आयोग की निधि से और शेष 50% लागत महात्मा गांधी नरेगा निधि से वहन करने का निर्णय लिया गया है। यदि ग्राम पंचायतों के पास 14वें वित्त आयोग के तहत उपलब्ध अव्ययित शेष पंचायत भवन की 50% लागत को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है, तो इस कमी को 15वें एफसी के तहत ग्राम पंचायतों को उपलब्ध

कराए जाने वाले 'अनाबद्ध निधियों' या राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) के अनुदानों या स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) का उपयोग करके पूरा किया जा सकता है।

6. इसके अलावा, ग्राम पंचायतें, जहाँ भी आवश्यक हो, वित्त आयोग के निधियों का उपयोग करके ग्राम पंचायत में स्थित अन्य सार्वजनिक भवनों/परिसंपत्तियों, जैसे कि प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों, स्वास्थ्य उप केंद्रों, बीज और उर्वरक बेचने वाले सहकारी भंडारणों आदि की मरम्मत और रखरखाव भी कर सकती हैं।

7. इस बात पर बल दिया जाता है कि उपर्युक्त निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करने और केंद्रीय वित्त आयोग एवं महात्मा गांधी नरेगा निधियों के अभिसरण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में उपलब्ध कुशल और अकुशल जनशक्ति को तत्काल रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए लिया गया है। इन कार्यों को तुरंत शुरु करने और मिशन मोड में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर पूरा करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, यह निर्णय केवल चालू वित्तीय वर्ष के लिए ही वैध है।

8. हमारा यह मानना है कि यदि राज्य प्राधिकारी भी किसी भी घाटे को पूरा करने के लिए राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं, पंचायतों के स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) और/ या राज्य योजनाओं के तहत उपलब्ध कराई गई निधियों के उपयोग की अनुमति देने का निर्णय लेते हैं, तो यह संभव होना चाहिए कि ग्राम पंचायत भवनों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य बुनियादी ढांचे की कमी का पूरी तरह से समाधान हो जाएगा।

9. अन्य कार्यों को निष्पादित करने, जो महात्मा गांधी नरेगा और वित्त आयोग के दिशानिर्देशों के तहत अनुमत हैं, और ग्रामीण स्तरों पर कार्यों (अधिकतम लागत सीमा 15 लाख रुपये) विशेषकर उन गांवों में, जहाँ पंचायत भवन या कोई अन्य सामुदायिक बुनियादी ढांचा नहीं है, तथा एसएचजी समूहों के लिए कायों हेतु ग्राम पंचायत द्वारा वित्त आयोग की निधियों को महात्मा गांधी नरेगा के साथ एकीकृत करने के प्रयास भी किए जाएं। यह सुझाव दिया जाता है कि भवनों को समूहों द्वारा तय किए गए शुल्क पर सामुदायिक आयोजनों के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। ऐसे निर्माण कार्यों की लागत को महात्मा गांधी नरेगा निधि और एफसी निधि तथा अन्य पंचायत निधियों में समान रूप से बाँटा जाना चाहिए।

10. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, हम अनुरोध करते हैं कि प्रत्येक जिले के लिए अपनी रणनीति तैयार करने और इस विशेष प्रावधान के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान निर्माण किए जाने वाले प्रस्तावित जीपी भवनों की संख्या के बारे में पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय को यथाशीघ्र सूचित करने हेतु संबंधित विभागों के अधिकारियों को तुरंत उपयुक्त अनुदेश जारी किए जाएं। महात्मा गांधी नरेगा के साथ अभिसरण के तहत किए जाने वाले निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के सभी प्रावधानों और दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

सादर,

आपका,

(10.06.20) **नागेंद्र नाथ सिन्हा**

(सुनील कुमार)

संलग्रक: यथोपरि

सभी राज्यों के मुख्य सचिव, : (संलग्न सूची के अनुसार)

******